



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक-19.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मनोज तिवारी पुत्र भारत राम निवासी दीनदयाल बाग थाना कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०-409/2018 वाद स०- 221/2018 धारा- 302,307 भा०द०वि० थाना को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.11.2024 को मा० न्यायालय न्यायालय ई०सी० एक्ट/एडीजे- 04 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर हे०का० अजय कुमार



पैरोकार का० नुनाराम



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

कोतवाली फरुखाबाद

#OperationConviction

दिनांक -19.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मनोज तिवारी पुत्र भारत राम निवासी दीनदयाल बाग थाना कादरी गेट जनपद फरुखाबाद मु०अ०सं०-410/2018 वाद स०- 222/2018 धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट थाना को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.11.2024 को मा० न्यायालय न्यायालय ई०सी० एक्ट/एडीजे- 04 कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर हे०का० अजय कुमार



पैरोकार का० तुनाराम